भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3256
20 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई योजना की स्थिति

3256. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिरूपति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) तिरूपति क्षेत्र में विशेषकर महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदाय के बीच सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने और इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को तिरूपति में इस योजना को शुरू करने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों तक बेहतर पहुंच और सहायता सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(घ) तिरूपति में इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और अवसंरचना सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को और बढ़ावा देने के लिए कुछ भावी पहलों की योजना बनाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): आंध्र प्रदेश के तिरुपति क्षेत्र सहित देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना / उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" को लागू कर रहा है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2025-26 तक चालू है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना क्षेत्र या राज्य

विशेष नहीं है बल्कि मांग आधारित है। पीएमएफएमई योजना के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या सहित तिरुपति संसदीय क्षेत्र में योजना के कार्यान्वयन की स्थिति **अनुबंध-I** में दी गई है ।

(ग): नहीं महोदय। हालाँकि, पीएमएफएमई योजना को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जागरूकता अभियान जैसे समाचार पत्र विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स, प्रदर्शनियाँ और एक्सपोज़, मिलेट मेले, क्रेता-विक्रेता बैठकें, जिला और ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाएँ आदि के माध्यम से आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए कई प्रचार अभियान और गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।

(घ): पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत तिरुपति सहित देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है ।

(ङ): देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन(पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और इस तरह किसानों को बेहतर रिटर्न प्रदान करने, रोजगार के अवसर पैदा करने, कृषि उपज की बर्बादी को कम करने, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में मदद करना है।

केंद्रीय एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/संयुक्त उद्यम/कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)/एनजीओ/सहकारिताएं/एसएचजी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां/व्यक्तिगत स्वामित्व वाली फर्में आदि जैसे संगठन इन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

मंत्रालय संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रकार की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए भावी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 20.03.2025 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना की स्थिति" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3256 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

28.02.2025 तक तिरुपति संसदीय क्षेत्र में पीएमएफएमई योजना के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र.सं.	घटक	स्थिति
1.	क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्वीकृत	38 अनुसूचित जाति, 7 अनुसूचित जनजाति और 193 महिला लाभार्थियों सहित 8.09 करोड़ रुपये की राशि के साथ 248 ऋण स्वीकृत किए गए
2.	प्रारंभिक पूंजी स्वीकृत	1959 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को 7.53 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई।
3.	इन्क्यूबेशन सेंटर को मंजूरी दी गई	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति में 2.60 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के साथ 1 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
4.	क्षमता निर्माण	190 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया

अनुबंध- II

दिनांक 20.03.2025 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना की स्थिति" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3256 के भाग (घ)) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत उद्यमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(i). व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता: पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii). प्रारंभिक पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता: कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये होगी।

(iii). सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता: एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे क्षमता के एक बड़े हिस्से का किराये के आधार पर उपयोग कर सकें।

(iv). ब्रांडिंग और विपणन सहायता: एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान।

(v). क्षमता निर्माण*:* इस योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संशोधित खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है ।

*****